प्रपत्र सं0–49 भाग संख्या IV

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **स्थान–** झांसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या– 88 **सन्** 2017 **प्रकीर्ण संख्या–** **सन्**

१. रेखा कौशिक उम्र करीब ४६ वर्ष पत्नी स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक

२. आकांक्षा कौशिक उम्र करीब १९ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक

३. अपूर्वा कौशिक उम्र करीब १५ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक

४. डा. रामशरण कौशिक उम्र करीब ७२ वर्ष तनय वैदही शरण कौशिक

५. विमला कौशिक उम्र करीब ६९ वर्ष पत्नी डॉ. राम शरण कौशिक -----याचीगण।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता उम्र करीब ४८ वर्ष तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागॉव गेट झॉसी, उ.प्र. ....वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाईट चौराहा, झॉसी जरिये शाखा प्रबन्धक ने. इ. क. लि. झॉसी .... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉन तनय मन्नी खॉन निवासी कटरा गुरसरांय ...चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ -----विपक्षीगण।

टिप्पणी– जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने
को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है।

दावा अंतर्गत धारा –166 व 140 मो0 व्ही0 एक्ट मुबलिग के लिए दावा ₹ 92,50,000/–

आवेदक के लिए श्री शिवकान्त शर्मा **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार** 1 व 3 **के लिये** श्री संजय देव शर्मा **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार** 2 **के लिये** श्री एस. बी. कनकने **अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक** 16.06.2020 **को** श्री चंद्रोदय कुमार **पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतदद्वारा आविष्ट किया जाता है कि**

याचीगण की याचिका विपक्षी गण के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक –पृथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ४८,४५,०४१/– (अडतालीस लाख पैंतालीस हजार इकतालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. १, २ व ३ तथा ४ व ५ क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: ३०, २० व २० तथा १५ व १५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। याची संख्या १, २ व ३ की धनराशि का ७५% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे ५ वर्ष के लिए तथा याची संख्या ४ व ५ की धनराशि का ७०% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे ३ वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेगें। याची संख्या १, २ की इच्छा पर ३ वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.18 17:50:45 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI